Annexure - XLVI

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 4287 / 73B / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2006 दिनांक : 15 / 12 / 2006

समस्त लोक प्राधिकारी
(निदेशालय स्तर) / निगम / प्राधिकरण

विषय– सूचना का अधिकार के अंतर्गत निर्माण कार्यों के स्थल से गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आम नागरिकों को नमूना लेने का अधिकार विषयक

राज्य के अनेक लोक प्राधिकारी इकाई द्वारा निर्माण कार्य या तो स्वयं कराया जा रहा है अथवा किसी अन्य निर्माण ऐजेन्सी के माध्यम से करवाये जा रहे हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत कार्य के नमूने लेना भी सूचना की परिभाषा मे आता है एंव धारा 2 (ञ)(III) मं किसी सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना 'सूचना का अधिकार' में सम्मिलित है, परन्तु आयोग स्तर पर यह देखा गया है कि :

1. निर्माण कार्यों के स्थल का निरीक्षण।
1.2 निर्माण कार्यों के स्थल में सामग्री में प्रमाणित नमूने लेना।

उपरोक्त 1 व 1.2 बिन्दुओं पर संबंन्धित विभाग द्वारा मैनुअल संख्या 3 व 4 में कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है। लोक प्राधिकारियों द्वारा इसकी क्या व्यवस्था की गई है या विभाग द्वारा निरीक्षण / नमूने लेने का निर्देश / शासनादेश मैनुअल मेंसमावेश नहीं किये गय हैं। वर्तमान में विद्यमान इस विषय के शासनादेश / निर्देश उपलब्ध हो तो उन्हें मैनुअल के सम्बन्धित भाग में समावेश करते हुए आयोग को भी उसकी एक छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें

आयोग सभी लोक प्राधिकारियों एवं निर्माण ऐजेन्सियों से यह भी अपेक्षा करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के स्थल पर निरीक्षण एवं नमूने लेने का अधिकार को ध्यान में रखते हुए अपने अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारियों को तकनीकि सम्प्रेक्षण के रूप में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशा निर्देश प्राप्त कर लेंगे।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव